

कार्यालय जिला पंचायत, दमदमा, उज्जैन
(प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 दिनांक 15.12.2023 से 26.12.2023 तक)

कार्य क्र.05 –निजी सुरक्षा व्यवस्था

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, उज्जैन

विषय :- प्रस्तावित हाथकरघा एवं हस्तशिल्प मेला 2023 में सुरक्षा व्यवस्था कार्य संबंधी भाव प्रदाय विषयक।

सन्दर्भ :- आपके द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमांक..... दिनांक.....

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके कार्यालय की समस्त शर्तों को मान्य करते हुए सुरक्षा व्यवस्था हेतु मेरे भाव/दर सम्पूर्ण मेला अवधि हेतु निम्नानुसार है:-

क्र	कार्य का विवरण	दर/भाव सम्पूर्ण मेला अवधि हेतु दर प्रति सुरक्षा गार्ड। सुपरवायजर की दर (समस्त टेक्स सहित)
01	मेले की सम्पूर्ण सुरक्षा हेतु मेला अवधि के एक दिन पूर्व एवं समाप्ति के एक दिन बाद तक जैसा भी कहा जावे दिन में 06 सुरक्षा गार्ड एवं रात्रि में 08 सुरक्षा गार्ड (आवश्यकतानुसार) एवं 01 सुपरवायजर नियुक्त करना।	
02	अवांछित व्यक्तियों/दुकानदार/हंगामा करने वाले व्यक्तियों को रोकने/बाहर करने के लिये 03 बाउन्सर प्रतिदिन सायं 4:00 से रात्रि 10:00 बजे तक	

संलग्न:- 01. धरोहर राशि जमा की छायाप्रति।

02. पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति। (म. प्र. पुलिस विभाग द्वारा जारी (पीएसएआरए))

03. दर प्रत्रक में दर भर कर स्कैन कापी का पी.डी.एफ बनाकर ऑनलाई वित्तीय लिफाफे में अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

05. शर्तें

06. PAN की छाया प्रति।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

कार्य क्रमांक 05—सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालयीन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है।

01. निविदा अंतर्गत स्वीकृत दरे सम्पूर्ण मेला अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी।
02. निविदा प्रपत्र क्रय रसीद अमानत राशि रुपये 10,000/(अक्षरी रुपये हजार) (ईएमडी) ऑनलाईन जमा कराई जावेगी। पेनकार्ड, टिन नम्बर, अनुभव प्रमाण—पत्र आयकर विभाग में दाखिल विगत 3 वर्षों के रिटर्न/आयकर अभिलेख कि प्रमाणित प्रति दर।
03. निर्धारित अवधि/समय पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जावेगी।
04. सुरक्षा व्यवस्था हेतु रुपये 10,000/— (अक्षरी रुपये दस हजार मात्र) धरोहर राशि एफ.डी.आर. (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उज्जैन) के पक्ष में जमा कराना होगी।
05. निविदा फार्म के साथ प्राप्त निविदा फार्म की जमा राशि की रसीद की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही व्यक्तिगत/संस्था संबंधित कार्य के लिये ठेकेदारी हेतु मान्य विभागों से पंजीयन प्रमाण—पत्र की छायाप्रति भी संलग्न करना होगी।
06. मेले की सुरक्षा कार्य हेतु सुरक्षा एजेंसी म. प्र. शासन प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने की अनुज्ञप्ति, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिये। म. प्र. पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रमाण—पत्र (पीएसएआरए) संलग्न करना होगा।
07. कार्य का सत्यापन कार्यालय द्वारा गठित समिति से करवाने के उपरांत ही देयक का भुगतान किया जावेगा तथा भुगतान की जाने वाली राशि में से शासन नियमानुसार किये जाने वाली कटौती राशि जैसे सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स आदि का कटौती कर भुगतान योग्य राशि का भुगतान किया जावेगा। आयकर पेन नंबर की छाया प्रति संलग्न करें।
08. देयक राशि में किसी भी प्रकार की सर्विस चार्ज/टैक्स आदि मान्य नहीं होगा। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सर्विस टैक्स या अन्य टैक्स निविदाकर्ता द्वारा जमा कराये जाने के उपरांत देयक राशि का भुगतान किया जावेगा।
09. कार्यालय द्वारा कार्य हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
10. मेले के सम्पूर्ण सुरक्षा की जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी। मेला परिसर में से आयोजक/भाग लेने वाले प्रतिभागियों आदि अन्य की भी सामान की चोरी तथा कार्यालय एवं परिसर में लगे डेकोरेशन आयटम की चोरी इत्यादि की सम्पूर्ण जवाबदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी।
11. सुरक्षा कर्मों से लिये जाने वाले कार्य अवधि एवं भुगतान के संबंध में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों एवं नियमों के पालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित एजेंसी का होगा एवं संबंधित कर्मचारी को भुगतान कर भुगतान की पावती देयक के साथ प्रस्तुत की जाना आवश्यक है।
12. सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियुक्त किये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों की सूची, पता, तथा प्रत्येक के दो फोटो (पासपोर्ट साईज), मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर अनुबंध के समय कार्यालय में तथा एक प्रति संबंधित थाने में प्रस्तुत करना होंगे।
13. सुरक्षा कर्मियों को मेला परिसर में अधिकृत अधिकारी के निर्देशों का पालन भी करना होगा।
14. सुरक्षा कर्मियों द्वारा मेले की यातायात व्यवस्था भी स्वयं करना होगी।
15. मेले में 50 वर्ष से कम उम्र के सुरक्षा कर्मों लगाना होंगे।
16. सुरक्षा कर्मों निर्धारित यूनिफार्म में ही कार्य पर उपस्थित होंगे तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो एवं नशे की हालत में नहीं होना चाहिये।
17. सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा/दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिये, यदि ऐसा होता है तो उसका उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा।
18. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार एवं अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा।
19. निविदा स्वीकृति के तत्काल पश्चात् दो दिवस में समिति द्वारा निर्धारित शर्तों अनुसार अनुबंध का निष्पादन निविदाकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।
20. सुरक्षा व्यवस्था कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं भुगतान की जाने वाली राशि में भी कटौती किया जावेगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र उज्जैन रहेगा।
22. मेले में कर्तव्यस्थ सुरक्षा कर्मों मेला अवधि में मेला परिसर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
23. समिति के सत्यापन उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जावेगा।
24. सामग्रियों की दरे जीएसटी सहित प्रस्तुत करना होगा। जीएसटी पृथक से देय नहीं होगा।
25. समस्त सुरक्षा कर्मियों का ड्यूटी चार्ज एवं सुपरवाईजर नियुक्त होना आवश्यक है जिसे समय-समय पर सुरक्षा संबंधी निर्देश दिये जा सकें

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, उज्जैन

उपरोक्त शर्त क्रमांक 01 से 25 तक मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर :-

नाम एवं पता :-

मोबाइल नम्बर :-